न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा
पीठासीन अधिकारी : देवेन्द्र कुमार, आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)

प्रकरण संख्या : 561 / 09

रामभरोस आत्मज स्व. श्री बजरंगलाल, जाति माली, निवासी कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

(वादी)

बनाम

दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा

(प्रतिवादी)

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट कोटा

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए.

दिनांक : 04.12.2018

उपस्थिति : श्री सुधीन्द्र यादव, वादी अभिभाषक

निर्णय

1. यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 92ए, 188 के अन्तर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –
वादी के पिता श्री बजरंगलाल आत्मज श्री गोपीलाल जी, जाति माली, निवासी ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को ग्राम कैथून की आराजी खसरा नम्बर 690 की 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 3 की 1 बीघा 3 बिस्वा कुल 2 बीघा 6 बिस्वा आराजी चम्बल परियोजना सरकारी भूमि आवंटन नियम एवं विक्रय के अन्तग्रत दिनांक 12.03.1963 को आवंटन की गई थी जिसका प्रमाण पत्र दिनांक 04.03.1963 को जारी किया गया है। तब से वादी के पिता स्व. बजरंगलाल का कब्जा काश्त चला आ रहा है। तथा उनकी मृत्यु के बाद से वादी उनका एकमात्र वारिस होने से उक्त भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है। वादी के पिता बजरंगलाल जी का दिनांक 14.08.1999 को निधन हो गया है उसके पश्चात से वादी का उपरोक्त भूमि पर निरन्तर कब्जा चला आ रहा है तथा वह बहैसियत उत्तराधिकारी स्व. बजरंगलाल कानूनन उक्त भूमि का टीनेन्ट हो गया है तथा बाद सेटलमेन्ट उक्त भूमि के खसरा नम्बर 705 मिन व 706 मिन दर्ज किया गया है। उक्त भूमि के वर्तमान सेटलमेन्ट में नये खसरा नम्बर 993 की 0.19 हैक्टर, खसरा नम्बर 994 की 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 995 की 0.07 हैक्टर कुल 0.31 हैक्टर दर्ज कर उक्त भूमि को सिवायचक राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया है। उक्त कार्यवाही सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश व बिना किसी आदेश उनके सामने उपलब्ध हुये बिना ही अपने अधिकार क्षैत्र के बाहर जाकर की गई है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। उपरोक्त भूमि काबिल काश्त होते हुये भी किस्म तीर दोयम के स्थान पर सेटलमेन्ट द्वारा गैर मुमकिन नाला दर्ज कर दिया जबकि उक्त भूमि आज भी काश्त हो रही है तथा आज भी वादी उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। उपरोक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से सिवायचक दर्ज होने के कारण वादी के विरूद्ध धारा 91 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है तथा उसे बेदखल करने पर प्रतिवादी आमादा है। वादी को उक्त तथ्य की जानकारी होते ही वादी ने राजस्व अधिकारियों से

ACEM (P.), Kota

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा

Scanned by CamScanner

सम्पर्क किया लेकिन उक्त त्रुटि को दुरूस्त नहीं किया गया इसलिये वादी को उक्त त्रुटि को दुरूस्त करवाने का अधिकार प्राप्त है तथा उक्त त्रुटि को राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवाना आवश्यक है। वादी ने कई बार राजस्व अधिकारियों से उक्त त्रुटि को दुरूस्त करवाने के लिये निवेदन किया लेकिन उन्होने उसकी कोई सुनवाई नहीं की तथा अन्त में सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने को कहा। इस पर वादी अपने वकील साहब से मिला तथा राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि श्रीमान जिला कलक्टर महोदय एवं तहसीलदार, लाडपुरा, कोटा को धारा 80 जाप्ता दीवानी के तहत एक नोटिस दिनांक 06.11.2006 को प्रेषित करवाया जिसमें निवेदन किया गया कि नाटिस में अंकित भूमि वादी के खाते दर्ज की जावे तथा राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे लेकिन नोटिस अवधि 2 माह (60 दिन) पूर्ण होने के बाद भी उक्त दुरूस्ती नहीं की गई इसलिये नोटिस अवधि 06.01.2007 को समाप्त होने के बाद वादी के लिये उक्त वाद पेश करना आवश्यक हो गया है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह वाद पेश है। वाद कारण दिनांक 06.11.2006 को राजस्थान सरकार के प्रतिनिधियों श्रीमान जिला कलक्टर एवं तहसीलदार को नोटिस प्रेषित करने पर उक्त दुरूस्ती नहीं होने पर उत्पन्न हुआ। अतः प्रार्थना है कि वादी के पा में प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादी को ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी पूर्व आवंटन के समय नम्बर खसरा नम्बर 690 की 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा, बाद सेटलमेन्ट नम्बर 705 मिन व 706 मिन तथा हाल बाद सेटलमेन्ट खसरा नम्बर 993 की 0.19 हैक्टर, खसरा नम्बर 994 की 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 995 की 0.07 हैक्टर कुल 0.31 हैक्टर का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर उक्त भूमि उसके खाते दर्ज करने तथा राजस्व रिकार्ड से सिवायचक का नोट हटाकर राजस्व रिकार्ड में, नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे। वादी के पक्ष में इस अमर की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्रदान की जावे कि वह वादी को उपरोक्त आराजी से धारा 91 ले.रे. एक्ट की कार्यवाही कर बेदखल नहीं करें तथा उसे शान्तिपूर्वक काश्त करने दें। उक्त कृत्य न तो स्वयं करे और न अपने एजेन्ट से करावें।

प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया गया कि बजरंगलाल पुत्र गोपीलाल, जाति माली, निवासी कैथून को ग्राम कैथून की सहायक उपनिवेशन अधिकारी, चम्बल सिंचाई परियोजना, लाडपुरा, कोटा के प्रमाण पत्र दिनांक 23.04.1963 के आज्ञा दिनांक 118 दिनांक 12.03.1963 के ग्राम कैथून स्थित भूमि साबिक खसरा नम्बर 690 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा व खसरा नम्बर 3 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा कुल दो बीघा 6 बिस्वा आवंटन होना उल्लेखित सही है। भूमि के वर्तमान खसरा नम्बर 993 की 0.19 हैक्टर, खसरा नम्बर 994 की 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 995 की 0.07 हैक्टर कुल 0.31 हैक्टर जमाबन्दी संवत 2061–2064 राजकीय भूमि (नदिया तथा नाले, चराई हेतु) दर्ज रेकार्ड है। भूमि रिकार्ड में सिवायचक दर्ज होने व वादी अतिक्रमी होने के कारण अतिक्रमी (वादी) के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही नियमोचित है। राजकीय भूमि को निजी खातेदारी दर्ज–दुरूस्ती का अधिकार प्रतिवादी को नहीं है। विशेष बाबत निवेदन है कि राजकीय भूमि किस्म नदिया तथा नाले पर खातेदार अधिकार उद्भूत नहीं होते है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट सं. 1536/04 अब्दुल बनाम सरकार में भी नदी नालों की भूमियों पर खातेदारी देना वर्जित है। रेकार्ड में अंकित किस्म नदी नाला अंकित भूमि पर अन्तर्गत धारा 16 आरटीए 1955 के भी खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। अतः आराजी प्रश्नगत पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते है। वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में वाद पत्र के साथ निम्नांकित दस्तावेज पेश किये गये –

प्रदर्श 1 ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा के खसरा नम्बर 993, 994, 995 की नकल जमाबन्दी संवत 2061–2064।

प्रदर्श 2A जिला कलक्टर, कोटा को प्रेषित नोटिस अन्तर्गत धारा 80 जाप्ता दीवानी दिनांक 06.11.2006 की प्राप्ति प्रति।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(मुख्यालय), कोटा

Scanned by CamScanner

प्रदर्श 2B तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा को प्रेषित नोटिस अन्तर्गत धारा 80 जाप्ता दीवानी दिनांक 06.11.2006 की प्राप्ति प्रति।

प्रदर्श 3 ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा के गत खसरा नम्बर 705 मि., 706 मि. के बने नये खसरा नम्बरान का मिलान क्षैत्रफल संवत 2038–2057।

प्रदर्श 4 ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा के खसरा नम्बर 993, 994, 995 की नकल जमाबन्दी संवत 2057–2060।

प्रदर्श 5 वादी को पिता बजरंगलाल को दिनांक 23.04.1963 को आराजी खसरा नम्बर 690 एवं 3 के आवंटन का प्रमाण पत्र।

प्रदर्श 6-8 (राज.) भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अधीन वादी को जारी नोटिस की प्रतियां।

प्रदर्श 9 (राज.) भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अधीन वादी को जारी नोटिस के विरूद्ध वादी द्वारा जमा जुर्माने की रसीद।

प्रदर्श 10 वादी के पिता बजरंगलाल के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति।

प्रदर्श 12-19 (राज.) भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अधीन वादी को जारी नोटिस की प्रतियां।

3. प्रकरण के वाद पत्र एवं जवाब दावा के कथनों व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आद्योपान्त अवलोकन उपरान्त निम्नानुसार तनकीहात कायम किये गये –

(i) आया वादी के पिता स्व. श्री बजरंगलाल पुत्र गोपीलाल माली, निवासी कैथून को दिनांक 12.03.1963 को ग्राम कैथून की खसरा नम्बर 690 की 1 बीघा 3 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 3 की 1 बीघा 3 बिस्वा आवंटित हुई थी। आवंटन के पश्चात बजरंगलाल की मृत्यु के बाद उक्त आराजी पर मृतक बजरंगलाल के वारिसान काबिज काश्त है।

(ii) आया वादग्रस्त आराजी को सेटलमेन्ट विभाग द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के नये खसरा नम्बर 993 की 0.19 हैक्टर, खसरा नम्बर 994 की 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 995 की 0.07 हैक्टर, कुल 0.31 हैक्टर कायम कर भूमि को सिवायचक राजस्व रेकार्ड दर्ज कर दिया गया। भूमि की किस्म तीर दोयम के स्थान पर गैरमुमकिन नाला दर्ज कर दी गई।

(iii) आया उक्त आराजी के सिवायचक दर्ज होने के बाद वादी उक्त आराजी पर अतिक्रमी रहते हुये उसके विरूद्ध धारा 91 के तहत कार्यवाही की जा रही है।

(iv) आया वादी उक्त विवादित आराजी को इस न्यायालय द्वारा इन्द्राज दुरूस्त कराने एवं आराजी को खाते दर्ज कराने का अधिकारी है।

(v) आया राजकीय भूमि को निजी खातेदारी दर्ज दुरूस्ती का अधिकार प्रतिवादी का नहीं है।

(vi) आया राजकीय भूमि किस्म नदिया नालों पर खातेदार अधिकार उदभूत नहीं होते है।

(vii) आय विवादित आराजी राजकीय सिवायचक दर्ज होने पर वादी उक्त भूमि पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है। धारा 91 की कार्यवाही न्यायोचित है।

4. प्रकरण की मूल पत्रावली को माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, कोटा द्वारा इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने पर सम्बन्धित तहसीलदार, लाडपुरा से मौका रिपोर्ट चाही गई जिसके अन्तग्रत अवगत कराया गया कि प्रार्थी को गत खसरा नम्बर 690 व 3 आवंटित था, जिसके उपरान्त सेटलमेन्ट हो चुका है। प्रार्थी द्वारा वर्तमान खसरा नम्बर 993/0.19, 994/0.05, 995/0.06 हैक्टर भूमि को खाते दर्ज करने हेतु दावा किया है जो वर्तमान में गैरमुमकिन नाला सिवायचक रेकार्ड दर्ज है। उपलब्ध तहसील रिकार्ड से वर्तमान से पूर्व खसरा नम्बर की जांच करने पर पाया गया कि वर्तमान खसरा नम्बर 993, 994, 995 का गत खसरा नम्बर 705 मि, 705 मि., 706 मि. क्रमशः बनता है। खसरा नम्बर 705 मि, 705 मि., 706 मि. का गत खसरा नम्बर मुताबिक रेकार्ड संवत 2016–2024 में

ACEM (P.), Kota
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(मुख्यालय), कोटा

Scanned by CamScanner

709, 729, 730 क्रमशः होना पाया गया जिसका खसरा नम्बर 690 व 3 से मिलान नहीं होता है। ऐसी स्थिति में नक्शे से मिलान करना संभव नहीं है।

5. प्रकरण में पत्रावली के बहस अन्तिम में आने पर विद्वान वादी अभिभाषक एवं सरकार पैरोकार की बहस अन्तिम सुनी गई। बहस अन्तिम के कथनों पर मनन करने तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन करने पर प्रकरण में कायम की गई तनकीयात निम्नानुसार तय की जाती है –

(i) *आया वादी के पिता स्व. श्री बजरंगलाल पुत्र गोपीलाल माली, निवासी कैथून को दिनांक 12.03.1963 को ग्राम कैथून की खसरा नम्बर 690 की 1 बीघा 3 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 3 की 1 बीघा 3 बिस्वा आवंटित हुई थी। आवंटन के पश्चात बजरंगलाल की मृत्यु के बाद उक्त आराजी पर मृतक बजरंगलाल के वारिसान काबिज काश्त है।*

अपने कथन के समर्थन में वादी द्वारा, वादी के पिता बजरंगलाल पुत्र गोपीलाल, माली को दिनांक 23.04.1963 को आराजी खसरा नम्बर 690 एवं 3 के आवंटन का प्रमाण पत्र पेश किया गया है। जिसे प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब दावा में स्वीकार किया है। अतः वादी का यह कथन तो सही है किन्तु वादी द्वारा कथन किया है कि आवंटन के पश्चात बजरंगलाल की मृत्यु के बाद से मृतक बजरंगलाल के वारिसान काबिज काश्त है। इस कथन के समर्थन में वादी द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। इस प्रकार वादी अपने पिता बजरंगलाल को खसरा नम्बर 690 एवं 3 की आराजी का आवंटन होना तो सिद्ध करने में सफल रहा है परन्तु उक्त आराजी पर कब्जा होना सिद्ध करने में असफल रहा है।

(ii) *आया वादग्रस्त आराजी को सेटलमेन्ट विभाग द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के नये खसरा नम्बर 993 की 0.19 हैक्टर, खसरा नम्बर 994 की 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 995 की 0.07 हैक्टर, कुल 0.31 हैक्टर कायम कर भूमि को सिवायचक राजस्व रेकार्ड दर्ज कर दिया गया। भूमि की किस्म तीर दोयम के स्थान पर गैरमुमकिन नाला दर्ज कर दी गई।*

सेटलमेन्ट अवधि संवत 2016–2024 के मिलान क्षैत्रफल के अनुसार गत खसरा नम्बर 709, 729 व 730 से नये खसरा नम्बर 705 एवं 706 बने है तथा इसके उपरान्त के सेटलमेन्ट संवत 2038–2057 के मिलान क्षैत्रफल के अनुसार गत खसरा नम्बर 705 मि, 705 मि., 706 मि. से वर्तमान खसरा नम्बर 993, 994 व 995 बनना पाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी को आराजी खसरा नम्बर 690 व खसरा नम्बर 3 का आवंटन किया गया था। उक्त खसरा नम्बरान से नये खसरा नम्बर 993, 994 व 995 बनना अंकित किया है जबकि इसके समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से वादी के कथन की पुष्टि नहीं हो पा रही है। अतः सिद्ध नहीं कर पाने के कारण यह तनकी वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

(iii) *आया उक्त आराजी के सिवायचक दर्ज होने के बाद वादी उक्त आराजी पर अतिक्रमी रहते हुये उसके विरूद्ध धारा 91 के तहत कार्यवाही की जा रही है।*

इस कथन के समर्थन में वादी द्वारा खसरा नम्बर 993, 994, 995 के लिये उसके पिता बजरंगलाल एवं उसके स्वयं के नाम से जारी धारा 91 एल.आर.एक्ट के नोटिसों की प्रतियां पेश की गई है। जो प्रदर्श 6 लगायत 8 एवं 12 लगायत 19 है। यद्यपि वादी, खसरा नम्बर 993, 994, 995 को गत खसरा नम्बर 690 एवं 3 से बनना सिद्ध नहीं कर पाया है तथापि उपरोक्त प्रदर्शो से खसरा नम्बर 993, 994, 995 पर वादी के पिता बजरंगलाल तथा वादी के विरूद्ध धारा 91 के तहत कार्यवाही हो रही है। इस प्रकार वादी के कथन की पुष्टि होने से यह तनकी वादी के पक्ष में तय की जाती है।

ACEM (P.), Kota

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(मुख्यालय), कोटा

Scanned by CamScanner

(iv) *आया वादी उक्त विवादित आराजी को इस न्यायालय द्वारा इन्द्राज दुरूस्त कराने एवं आराजी को खाते दर्ज कराने का अधिकारी है।*

प्रस्तुत प्रकरण में वादी, यदि, यह सिद्ध करने में सफल हो जाता है कि उसके पिता को आवंटित आराजी से ही वर्तमान के विवादित खसरा नम्बर बने है एवं सेटलमेन्ट विभाग द्वारा उसको आवंटित भूमि का ही गलत रूप से किस्म परिवर्तन किया गया हो। तो ही वह विवादित आराजी की इन्द्राज दुरूस्ती करवाने और उसे अपने खाते दर्ज करवाने का अधिकारी है, अन्यथा नहीं।

(v) *आया राजकीय भूमि को निजी खातेदारी दर्ज दुरूस्ती का अधिकार प्रतिवादी का नहीं है।*

प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादी "दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा" की ओर से पेश किये गये जवाब दावा में अंकित किया है कि राजकीय भूमि को निजी खातेदारी दर्ज दुरूस्ती का अधिकार प्रतिवादी को नहीं है। प्रतिवादी का यह कथन विधिसंगत है। यह विधि द्वारा स्थापित न्यायालय के स्तर का मामला है। यह यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है।

(vi) *आया राजकीय भूमि किस्म नदिया नालों पर खातेदारी अधिकार उदभूत नहीं होते है।*

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, की धारा 16 के अन्तर्गत ऐसी भूमियों को चिन्हित किया गया है जिनमें खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होगें। धारा 16 के अन्तर्गत इस अधिनियम में अथवा राज्य के किसी भाग में उस समय प्रचलित किसी अन्य विधि या अधिनियमिति में किसी बात के होते हुये, खातेदारी अधिकार निम्नलिखित में, प्राप्त नहीं होगें –

a- गोचर भूमि,
b- नदी तल या तालाब की भूमि जो आकस्मिक या कभी कभी खेती के लिये काम में ली जाती हो,
c- सिंघाडा या अन्य ऐसी उपज पैदा करने के लिये काम में ली जाने वाली जलमग्न भूमि,
d- भूमि जो, अदल–बदल कर दी जाने वाली खेती अथवा अस्थायी कृषि के लिये प्रयोग में आती हो,
e- भूमि जिसमें बाग लगे हों, जिनकी स्वामी सरकार हो एवं जिनकी देखरेख राज्य सरकार द्वारा की जाती हो,
f- किसी सार्वजनिक अभिप्राय अथवा सार्वजनिक हित के कार्य के लिये प्राप्त की गई अथवा धारण की गई भूमि,
g- भूमि जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय अथवा उसके बाद किसी समय सैनिक पडाव स्थलों के लिये नियत कर दी जाये,
h- किसी छावनी की सीमाओं के भीतर स्थित भूमि,
i- रेल्वे या किसी नहर की सीमा बन्धों के भीतर स्थित भूमि,
j- किसी सरकारी वन के सीमा बन्धों के भीतर स्थित भूमि,
k- म्युनिसिपल खाइयों के स्थल,
l- शिक्षण संस्थाओं द्वारा कृषि में शिक्षण के लिये तथा खेल के मैदानों के लिये धारण अथवा प्राप्त की गई भूमि,
m- सरकार के किसी कृषि फार्म या घास के फार्म की सीमाओं के भीतर स्थित भूमि,
n- भूमि जो, किसी गांव या आस–पास के गांवों के लिये पीने के पानी के जलाशय से या टंकी में पानी जाने के लिये अलग रखी गई हो या कलक्टर की राय में, तदर्थ आवश्यक

प्रकरण की वर्तमान विवादित आराजी खसरा नम्बर 993, 994, 995 की, राजस्व अभिलेख की जमाबन्दी संवत 2057–2060 में "भूमि जो कृषि के लिये उपलब्ध नहीं है (सिवायचक नाकाबिल काश्त) (4) नदियॉ व नाले" अंकित है तथा जमाबन्दी संवत 2061–2064 में "नदियॉ व नाले (चराई हेतु)" अंकित है। प्रतिवादी की ओर से अपने जवाब दावा में भी कथन किया है कि "माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट

ACEM (P.), Kota

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(मुख्यालय), कोटा

Scanned by CamScanner

सं. 1536/04 अब्दुल बनाम सरकार में भी नदी नालों की भूमियों पर खातेदारी देना वर्जित है। रेकार्ड में किस्म नदी नाला अंकित भूमि पर अन्तर्गत धारा 16 आरटीए 1955 के भी खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है।" अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, की धारा 16 के अन्तर्गत नदिया व नाले अंकित भूमि को किसी की निजी काश्तकारी में दिया जाना प्रतिवन्धित होने व प्रतिवादी का कथन विधिसंगत होने के कारण यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है।

(vii) *आया विवादित आराजी राजकीय सिवायचक दर्ज होने पर वादी उक्त भूमि पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है। धारा 91 की कार्यवाही न्यायोचित है।* स्वयं वादी की ओर से पेश किये गये राजस्व अभिलेख से यह प्रमाणित है कि वादी द्वारा पेश किये गये वाद पत्र के प्रकरण की विवादित आराजी खसरा नम्बर 993, 994, 995, वर्तमान में नदियॉ तथा नाले (चराई हेतु) दर्ज रेकार्ड है। इस प्रकार उक्त खसरा नम्बर 993, 994, 995 की आराजी राजकीय खाते (सिवायचक) दर्ज है। किसी भी राजकीय खाते (सिवायचक) दर्ज आराजी पर जवरन काश्त कर मुनाफा प्राप्त करने वाले व्यक्ति/आसामी को अतिक्रमी की श्रेणी में रखा जाना न्यायोचित होगा। तथा राजकीय आराजी पर किसी भी रूप में अतिक्रमी के रूप में काश्त करने वाले व्यक्ति/काश्तकार पर धारा 91 एल.आर. एक्ट के तहत कार्यवाही कर जुर्माना वसूलने की कार्यवाही किया जाना पूर्णतः तर्कसंगत है, विधिसंगत है तथा न्यायोचित है। अतः राजस्व अभिलेख में राजकीय सिवायचक दर्ज आराजी पर वादी का अतिक्रमी के रूप में काविज काश्त होना तथा उसके लिये वादी के विरूद्ध धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही किया जाना न्यायोचित है। अतः यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है।

6. उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट है कि वादी द्वारा अपने पिता (बजरंगलाल पुत्र गोपीलाल) को ग्राम कैथून के आवंटित खसरा नम्बर 690 व 3 के वर्तमान खसरा नम्बर को अपने खाते दर्ज करने का निवेदन किया गया है। प्रकरण की तनकीयात के अवलोकन से यह सिद्ध हो जाता है कि वादी द्वारा जिन खसरा नम्बरान 993, 994, 995 को अपने खाते दर्ज करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया है, वे खसरा नम्बरान वास्तविक रूप से वादी के पिता को आवंटित गत खसरा 690 व 3 से बनना, किसी भी दस्तावेज से सिद्ध नहीं हो रहा है। इस प्रकार वादी द्वारा अपने वाद पत्र के साथ पेश किये गये दस्तावेजात के आधार पर अपने पक्ष में में की गई प्रार्थना पूर्णतः सारहीन है। वादी यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि विवादित आराजी के वर्तमान खसरा नम्बर 993, 994, 995 उसके पिता बजरंगलाल पुत्र गोपीलाल को आवंटित गत खसरा नम्बर 690 व 3 से ही बने है। अतः सिद्ध नहीं कर पाने के कारण वाद वादी अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

7. श्रीमान जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटा द्वारा आदेश क्रमांक रीडर/डीएम/2018/970 दिनांक 22.10.2018 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 04 दिसम्बर, 2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(देवेन्द्र कुमार)
आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (प्रशि.) कोटा

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा

कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट कोटा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा
पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्र कुमार, I.A.S. (P)

बउनवान :–

रामभरोस आत्मज स्व. श्री बजरंगलाल, जाति माली, निवासी कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (वादी)

बनाम

दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा (प्रतिवादी)

दावा बाबत : 88, 188 RTA
मुकदमा नम्बर : 561 /09
निर्णय दिनांक : 04-12-2018

न्यायालय हाजा में वादीवादी अभिभाषक श्री सुधीन्द्र यादव एवं सरकार पैरोकार की उपस्थिति में वाद पत्र की बहस अन्तिम सुनने के बाद आज तारीख 04–12–2018 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार, आई.ए.एस. (प्रशिक्षु) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादी यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि विवादित आराजी के वर्तमान खसरा नम्बर 993, 994, 995 उसके पिता बजरंगलाल पुत्र गोपीलाल को आवंटित गत खसरा नम्बर 690 व 3 से ही बने है। अतः सिद्ध नहीं कर पाने के कारण वाद वादी अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 04.12.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट कोटा

Devendra.

(देवेन्द्र कुमार)
आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मु.) कोटा
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया	1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	..... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
	जोड			जोड	

Scanned by CamScanner